(भारत के राजपत्र असाधारण, भाग–I, खण्ड–I में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय
उद्योग भवन

सार्वजनिक सूचना सं. 03 / 2015–2020
नई दिल्ली, दिनांकः– 13 अप्रैल, 2022

विषयः 'अनुपालन बोझ' को कम करने और 'व्यापार करने की सुगमता' को बढ़ाने हेतु निर्यात संवर्धन पूंजीगत माल स्कीम से संबंधित प्रक्रिया पुस्तक 2015–20 के अध्याय 5 में संशोधन से संबंधित।

समय–समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति (एफटीपी), 2015–2020 के पैरा 1.03 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महानिदेशक विदेश व्यापार एतद्द्वारा तत्काल प्रभाव से प्रक्रिया पुस्तक (2015–20) के अध्याय 5 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं। ये संशोधन विदेश व्यापार नीति 2015–20 के तहत जारी ईपीसीजी प्राधिकार पत्र हेतु लागू हैं।

क्र. सं.	पैरा सं.	मौजूदा प्रावधान	संशोधित प्रावधान
1	5.14 (ग)	**5.14 निर्यात दायित्व को ब्लॉक–वार पूरा करना** (ग) जहां उन मामलों में जिसमें ब्लॉक से संबंधित निर्यात दायित्व अपूर्ण भाग के अनुपात में बचाई गई शुल्क की राशि पर 2 प्रतिशत संघटन शुल्क के भुगतान के अधीन क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा प्रथम ब्लॉक के लिए निर्धारित ईओ का विस्तार किया गया है, को छोड़कर प्रथम ब्लॉक के ईओ को उपर्युक्त अनुपात के अनुसार पूरा नहीं किया गया है, प्राधिकार–पत्र धारक ब्लॉक के समाप्त होने के तीन महीने के भीतर प्रथम ब्लॉक के कुल अपूर्ण ईओ पर बचाई गई शुल्क की राशि के अनुपात के सीमाशुल्क (राजस्व विभाग द्वारा यथा अधिसूचित लागू ब्याज सहित) का भुगतान करेगा।	**5.14 निर्यात दायित्व को ब्लॉक–वार पूरा करना** (ग) प्रथम ब्लॉक की निर्यात दायित्व अवधि के विस्तार के लिए अनुरोध ब्लॉक से संबंधित ईओ के अपूर्ण भाग के अनुपात में बचाई गई शुल्क की राशि पर 2 प्रतिशत संघटन शुल्क के साथ प्रथम ब्लॉक ईओ अवधि के समाप्त होने की तिथि से 6 महीने के भीतर प्रस्तुत किया जाएगा। आरए 6 महीने के बाद लेकिन प्राधिकार पत्र जारी होने की तिथि से 6 साल के भीतर प्राप्त 10,000/– रुपये प्रति प्राधिकार पत्र के विलंब शुल्क के साथ ब्लॉक वार ईओ अवधि के विस्तार के अनुरोध पर विचार कर सकता है। नियमितीकरण के प्रयोजन हेतु ब्लॉक–वार ईओ अवधि के विस्तार के लिए 6 साल के बाद किए गए आवेदन पर भी प्रत्येक वर्ष के लिए 5,000/– रुपये प्रति प्राधिकार पत्र के अतिरिक्त विलंब शुल्क के साथ संबंधित आरए द्वारा विचार किया जाएगा। यह विलंब शुल्क संघटन शुल्क के अतिरिक्त है जो निर्यात दायित्व में कमी के कारण देय हो सकता है। जहां प्रथम ब्लॉक का ईओ उपरोक्त पैरा (क) के अनुसार पूरा नहीं होता है, सिवाए उन मामलों के जहां प्रथम ब्लॉक के लिए निर्धारित ईओ का

अ. सांघी

			क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा विस्तार किया जाए, को प्राधिकार पत्र धारक, ब्लॉक की समाप्ति से 6 महीने के भीतर, प्रथम ब्लॉक के कुल अपूर्ण ईओ पर बचाई गई शुल्क की राशि के अनुपात के सीमा शुल्क (राजस्व विभाग द्वारा यथा अधिसूचित लागू ब्याज सहित) का भुगतान करेगा।
2	5.15	**5.15 निर्यात दायित्व की निगरानी** प्राधिकार पत्र धारक, निर्यात दायित्व को पूरा करने संबंधी रिपोर्ट संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी को प्रत्येक वर्ष 30 अप्रैल तक डिजिटल हस्ताक्षर का उपयोग करके सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग द्वारा/अथवा इसकी हार्ड कॉपी द्वारा प्रस्तुत करेगा।	**5.15 निर्यात दायित्व पूरा करने की वार्षिक रिपोर्टिंग** प्राधिकार पत्र धारक प्रत्येक वर्ष 30 जून तक संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी को ऑनलाइन माध्यम से निर्यात दायित्व की पूर्ति पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। इस तरह की रिपोर्ट में शिपिंग बिल/जीएसटी बीजक संख्या, निर्यात/आपूर्ति की तारीख, निर्यात/ आपूर्ति किए गए उत्पाद का विवरण और विशिष्ट के साथ–साथ औसत निर्यात दायित्व दोनों के लिए निर्यात/आपूर्ति के लिए एफओबी/ एफओआर मूल्य जैसे विवरण शामिल होंगे। ऐसी वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने में किसी भी तरह के विलंब को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए 5,000/– रुपये के विलंब शुल्क के भुगतान पर नियमित किया जाएगा।
3	5.16 (क)	**5.16 10 प्रतिशत बचाई गई शुल्क राशि तक स्वतः कमी/वृद्धि और निर्यात दायित्व में यथानुपात कमी/वृद्धि** (क) ऐसे मामलों में जहां प्राधिकार पत्र पर दर्शायी गई बचायी गई शुल्क राशि का आधिक्य 10 प्रतिशत से अधिक न हो, प्राधिकार–पत्र उस अनुपात द्वारा बढ़ाया हुआ माना जाएगा। सीमा शुल्क प्राधिकारी संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी के पृष्ठांकन के बिना, प्राधिकार पत्र के ऐसे माल की निकासी की अनुमति स्वतः ही दे देगा। प्राधिकार–पत्र धारक संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी को बचाई गई शुल्क राशि के अुनसार आयात में एक महीने के भीतर, किए गए अतिरिक्त आयात को शामिल करने के लिए अतिरिक्त फीस देगा। निर्यात दायित्व स्वंय आनुपातिक रूप से बढ़ जाएगा। संबंधित आरए, बचाई गई शुल्क की राशि के संदर्भ में, किए गए अतिरिक्त आयात को कवर करने के लिए अतिरिक्त शुल्क भी स्वीकार कर सकता है, यदि वह 5000/– रुपये प्रति	**5.16 10 प्रतिशत बचाई गई शुल्क राशि तक स्वतः कमी/वृद्धि और निर्यात दायित्व में यथानुपात कमी/वृद्धि** (क) ऐसे मामलों में जहां प्राधिकार पत्र पर दर्शायी गई बचायी गई शुल्क राशि का आधिक्य 10 प्रतिशत से अधिक न हो, प्राधिकार–पत्र उस अनुपात द्वारा बढ़ाया हुआ माना जाएगा। सीमा शुल्क प्राधिकारी संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी के पृष्ठांकन के बिना, प्राधिकार पत्र के ऐसे माल की निकासी की अनुमति स्वतः ही दे देगा। प्राधिकार–पत्र धारक संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी को बचाई गई शुल्क राशि के अनुसार ईओडीसी हेतु किए गए आवेदन के समय, किए गए अतिरिक्त आयात को शामिल करने के लिए अतिरिक्त फीस देगा। निर्यात दायित्व स्वंय आनुपातिक रूप से बढ़ जाएगा।

एम. सारंगी

		प्राधिकार पत्र के संघटन शुल्क के भुगतान के अधीन एक महीने से अधिक लेकिन अतिरिक्त आयात होने के दो वर्ष के भीतर प्रस्तुत किया जाता है।	
4	5.17(घ)	**5.17 निर्यात दायित्व अवधि में विस्तार** (घ) निर्यात दायित्व की अवधि को बढ़ाने का अनुरोध क्षेत्रीय प्राधिकारी को मूल निर्यात दायित्व अवधि के समाप्त हो जाने की तिथि से 90 दिनों के अन्दर किया जाएगा। तथापि, क्षेत्रीय प्राधिकारी 5000 रू. के अतिरिक्त संघटन शुल्क के साथ 180 दिनों तक प्राप्त किए गए विस्तार हेतु अनुरोध पर विचार कर सकते हैं।	**5.17 निर्यात दायित्व की अवधि में विस्तार** (घ) निर्यात दायित्व की अवधि को बढ़ाने का अनुरोध क्षेत्रीय प्राधिकारी को मूल निर्यात दायित्व अवधि के समाप्त हो जाने की तिथि से 6 महीने के अन्दर किया जाएगा। तथापि, क्षेत्रीय प्राधिकारी 10,000/- रुपये के विलम्ब शुल्क के साथ 6 महीने के पश्चात परन्तु प्राधिकार पत्र जारी होने की तिथि से 8 साल के अन्दर विस्तार हेतु प्राप्त किए गए अनुरोध पर विचार कर सकता है। नियमितीकरण के उद्देश्य से ईओ अवधि को 6 से बढ़ा कर 8 वर्ष करने के लिए 8 वर्ष के पश्चात किए गए आवेदन पर भी संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा प्रति प्राधिकार पत्र प्रत्येक वर्ष के लिए 5000/- रुपये के अतिरिक्त विलम्ब शुल्क के साथ विचार किया जाएगा। यह शुल्क संघटन शुल्क के अतिरिक्त है जो निर्यात दायित्व में गिरावट के कारण देय हो सकता है। हालांकि, इस प्रावधान के तहत क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा प्राधिकार पत्र जारी होने की तिथि से 8 साल से अधिक ईओ के विस्तार की अनुमति नहीं दी जाएगी।
5	**5.19क**	**5.19क – वार्षिक औसत निर्यात दायित्व का रखरखाव** किसी वर्ष के दौरान ईपीसीजी प्राधिकार पत्र की औसत निर्यात दायित्व पूर्ति के लिए किए गए अतिरिक्त निर्यात का उपयोग ईओ अवधि के अन्य वर्षों में या ब्लॉक अवधि में जैसा भी मामला हो, किए गए औसत ईओ में किसी भी कमी को पूरा करने के लिए किया जा सकता है बशर्ते कि रोपित औसत निर्यात दायित्व का समग्र आधार पर, यथा लागू ब्लॉक अवधि या निर्यात दायित्व अवधि के भीतर रखरखाव किया जाए।	**5.19क – वार्षिक औसत निर्यात दायित्व का रखरखाव** किसी वर्ष के दौरान ईपीसीजी प्राधिकार पत्र की औसत निर्यात दायित्व पूर्ति के लिए किए गए अतिरिक्त निर्यात का उपयोग ईओ अवधि के अन्य वर्षों में या ब्लॉक अवधि में जैसा भी मामला हो, किए गए औसत ईओ में किसी भी कमी को पूरा करने के लिए किया जा सकता है बशर्ते कि रोपित औसत निर्यात दायित्व का समग्र आधार पर निर्यात दायित्व अवधि के भीतर रखरखाव किया जाए।
6	5.22 (क) और (ख)	**5.22 मोचन** (क) निर्यात दायित्व की पूर्ति के प्रमाण के रुप में, प्राधिकार पत्र धारक आयात–निर्यात प्रपत्र 5ख में निर्धारित किए गए दस्तावेजों सहित मोचन आवेदन	**5.22 निर्यात दायित्व निर्वहन प्रमाणपत्र (ईओडीसी)** (क) निर्यात दायित्व की पूर्ति के प्रमाण के रुप में, प्राधिकार पत्र धारक आयात–निर्यात प्रपत्र 5ख में निर्धारित किए गए दस्तावेजों

[illegible]

		प्रस्तुत करेगा । (ख) संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी, सन्तुष्ट होने पर, ई.पी.सी.जी प्राधिकार पत्र धारक को निर्यात दायित्व के निर्वहन का प्रमाणपत्र जारी करेगा और उसकी एक प्रति, सीमाशुल्क प्राधिकारियों को भेजेगा जिनके साथ बैंक गारन्टी/विधिक वचनबद्धता निष्पादित की गई है। प्राधिकार–पत्र धारक द्वारा निर्यात दायित्व पूर्ति के प्रमाण के लिए सौंपे गए दस्तावेजों का ब्यौरा देने वाला एक विवरण प्रमाण–पत्र के साथ संलग्न किया जाएगा।	सहित मोचन आवेदन प्रस्तुत करेगा। (ख) संतुष्ट होने पर, संबंधित आरए ईपीसीजी प्राधिकार पत्र धारक को ईओडीसी जारी करेगा और इसकी एक प्रति ऑनलाइन माध्यम से क्षेत्राधिकार प्राप्त सीमा शुल्क प्राधिकारियों जिनके साथ बीजी/एलयूटी निष्पादित किया गया है, द्वारा आगे की कार्रवाई के लिए आईसगेट को प्रेषित की जाएगी। जहां ऑनलाइन आवेदन के आधार पर ईपीसीजी प्राधिकार पत्र धारक को ईओडीसी प्रदान किया जाता है, वहां ईओडीसी की एक प्रति आईसगेट को अग्रेषित की जाएगी ताकि क्षेत्राधिकार प्राप्त सीमा शुल्क प्राधिकारी जिनके साथ बीजी/एलयूटी निष्पादित किया गया है आगे की कार्रवाई कर सकें।
7	5.23(क)	**5.23 वास्तविक चूक का नियमितीकरण और ईपीसीजी स्कीम से निर्गमन** (क) यदि ईपीसीजी प्राधिकार पत्र धारक विहित निर्यात दायित्व को पूरा करने में विफल रहता है तो वह सीमाशुल्क प्राधिकारी द्वारा निर्धारित लागू ब्याज के साथ सीमाशुल्क का भुगतान करेगा। इस सुविधा का लाभ प्राधिकार पत्र धारक द्वारा अपने विकल्प पर स्कीम से बाहर निकलने के लिए भी उठाया जा सकता है। प्राधिकार पत्र धारक के पास सीमाशुल्क घटक के भुगतान के लिए एफटीपी के अध्याय 3 या अध्याय 5 के तहत जारी वैध ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्स प्रस्तुत करने का विकल्प होगा।	**5.23 वास्तविक चूक का नियमितीकरण और ईपीसीजी स्कीम से निर्गमन** (क) यदि ईपीसीजी प्राधिकार पत्र धारक विहित निर्यात दायित्व को पूरा करने में विफल रहता है तो वह सीमाशुल्क प्राधिकारी द्वारा निर्धारित लागू ब्याज के साथ सीमाशुल्क/कर/उपकर का भुगतान करेगा। इस सुविधा का लाभ प्राधिकार पत्र धारक द्वारा अपने विकल्प पर स्कीम से बाहर निकलने के लिए भी उठाया जा सकता है।

इस सार्वजनिक सूचना का प्रभावः व्यापार करने की सुगमता को बढ़ावा देने और अनुपालन बोझ को कम करने के लिए, प्रक्रिया पुस्तक (2015–20) की निर्यात संवर्धन पूंजीगत माल स्कीम से संबंधित अध्याय 5 के कतिपय प्रावधानों को विदेश व्यापार नीति (2015–20) के तहत जारी किए गए ईपीसीजी प्राधिकार पत्रों के लिए संशोधित किया गया है।

संतोष कुमार सारंगी
13.4.2022

(संतोष कुमार सारंगी)
महानिदेशक विदेश व्यापार एवं
पदेन अपर सचिव, भारत सरकार
ईमेलः– dgft@nic.in

(फा. सं. 18/79/एएम–21/पी–5 से जारी)